न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः श्री रामसिंह गुर्जर (RAS)

प्रकरण संख्याः– 37 / 13
दायरा दिनांकः– 10.04.2013
निर्णय दिनांकः– 27.08.2025

उनवान

1. अमरीबाई पुत्री भोला पत्नी नंदकिशोर जाति लोधा निवासी सेमली तहसील छबड़ा

...............वादीया

बनाम

1. गंगाबाई बेवा जमना
2. बापू पुत्र जमना
3. कमलसिंह पुत्र जमना
4. छोटिया पुत्र जमना
5. रमेश पुत्र जमना जातियान लोधा निवासीगण सेमली तह. छबडा
6. कम्पूरीबाई पुत्री जमना पत्नी लालजीराम निवासी फलिया तह. छबडा
7. राजबाई पुत्री जमना पत्नी अमरसिंह निवासी मदनाखेड़ी तह० छबड़ा
8. मोहनबाई पुत्री जमना पत्नी मोहन निवासी काल्या जागीर तहसील छीपाबड़ौद
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)

.................प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 91, 188 आर. टी. एक्ट 1955
निर्णय दिनांकः– 27.08.2025

अभिभाषक उपस्थितः– 1. श्री दीपक वर्मा – वादी
2. श्री अरविन्द प्रताप सिंह – प्रतिवादीगण

1. अभिभाषक वादिया ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 91, 188 आर.टी. एक्ट इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम गागनाखेड़ी तहसील छबड़ा की कृषि भूमि खसरा नंबर 8 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 104 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 109 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 110 रकबा 03 बीघा, खसरा नंबर 127 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 128 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 133 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 174 रकबा 05 बिस्वा कुल आठ किता रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा सेटलमेन्ट संवत् 2012 में वादनी के पिता स्व० भोला एवं प्रतिवादीगण के पति व पिता जमना के शामलाती खाते में दर्ज जमाबंदी चली आ रही थी। भोला का स्वर्गवास सन् 1973 में हुआ, उस समय

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारॉं (राज.)

वादनी की आयु चार–छह माह के लगभग थी। वादनी स्व० भोला की एकमात्र संतान है और भोला के मरने पर वादनी की माता एवं वादनी को स्व० जमना ने परेशान करके घर से भगा दिया। विवश होकर वादनी की माता अन्य जगह नाते बैठ गई। प्रतिवादीगण के पति व पिता स्व० जमना ने वादनी के पिता के हिस्से की भूमि को हड़पने के लिए वादनी की माता को परेशान करके भगा देने के पश्चात वादनी का नाबालिकता का लाभ उठाकर वादनी के पिता को लाऔलाद बताते हुए उक्त वर्णित समस्त भूमि को इंतकाल नंबर 32 दिनांक 20.02.1978 को उसके तनहा खाते बंधवा लिया। उक्त भूमि वादनी के पिता भोला एवं प्रतिवादीगण के पति व पिता जमना के शामलाती खाते की होने से इस भूमि में वादनी का पैदाइशी हक है। वादनी इस भूमि के 1/2 भाग की सहखातेदार घोषित होने की अधिकारिणी है। वादनी के पिता ने उसके हिस्से की उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से प्रतिवादीगण के पिता/पति ज़मना को हस्तांतरित भी नहीं की है। वादनी अनपढ़ व निरक्षर महिला है। वादनी की अल्प आयु में उसके पिता का स्वर्गवास होने के कारण वादनी को उसकी माता व मामा द्वारा स्व० भोला की पुत्री होना व उसके खाते में गागन्याखेड़ी में कृषि भूमि होने का कहने के उपरांत वादनी को अभिलेख तलाश करने पर सन् 2012 में अभिलेख का पता चलने व नकलें मिलने पर यह दावा प्रस्तुत है। वादनी ने अभिलेख की नकले प्राप्त करके दिनांक 01.04.2013 को प्रतिवादीगण 1 ता 9 से खाता दुरुस्त करने हेतु कहा तो उन्होंने वादनी से इंकार कर दिया और वादनी के हिस्से की आराजियात बेचने की धोंस दी। प्रतिवादीगण 1 ता 8 द्वारा उक्त आराजी को अन्य को बेच देने की धोंस दिनांक 01.04.2013 को देने के परिणामस्वरूप यह वाद माननीय न्यायालय पेश कर, उक्त वर्णित आराजी में वादनी को 1/2 भाग का खातेदार घोषित कर, 1/2 हिस्से का विभाजन कर, प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

2. प्रतिवादीगण ने जवाब वाद पत्र पेश कर कथन किया कि वादनी द्वारा मिथ्या एवं बनावटीपूर्ण तथ्यों के आधार पर यह वाद पेश किया है। जिसका मूल उद्देश्य प्रतिवादीगण को परेशान करने का है। वाद पत्र में वर्णित आराजी ग्राम गांगन्याखेडी तह. छबडा मे अवस्थित है। जो पूर्व मे भोला एवं उसके भाई जमना जो कि प्रतिवादी क्रम 1 का पति एवं प्रतिवादी क्रम 2 ता 8 का पिता था, के खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे चली आ रही थी। भोला लाऔलाद था। जिसका स्वर्गवास लगभग 45 वर्ष पूर्व हो चुका है। भोला का स्वर्गवास लाऔलाद हो जाने के कारण तहसीलदार छबडा द्वारा विधिवत रूप से भोला के भाई जमना के नाम उसके हिस्से की भूमियों का इन्तकाल तस्दीक किया जाकर, उक्त सम्पूर्ण भूमियां जमना के तनहा खातेदारी मे दर्ज की गई। भोला की मृत्यू के पश्चात से ही उक्त वर्णित विवादग्रस्त भूमियों को जमना अपने जीवन पर्यन्त तक तथा उसकी मृत्यु हो जाने

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

के पश्चात से प्रतिवादीगण बेहेसियत खातेदार टिनेन्ट नियमित रूप से अभी तक काश्त करते हुये चले आ रहे है। जिसको लगभग 45 वर्षो का समय हो चुका है। जमना की मृत्यु के बाद उक्त भूमियों का इन्तकाल भी प्रतिवादीगण के पक्ष में तस्दीक किया जा चुका है। वादनी भोला की पुत्री नहीं है। यदि वह भोला की पुत्री होती तो वाद नियमानुसार भोला की मृत्यु हो जाने के पश्चात ही विधिवत रूप से पेश कर देती। वादनी ने उक्त वर्णित भूमियों को हडपने के उद्देश्य से मिथ्या एवं बनावटीपूर्ण तथ्यों क आधार पर भोला की फर्जी पुत्री बनकर 45 वर्ष बाद वाद पेश किया जो काबिल खारिज है। वाद मे विधिवत रूप से नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी प्रेषित नहीं किया है। जिसके अभाव मे वाद काबिल खारिज होने योग्य है। वाद वादनी मया खर्चा खारिज फरमाया जावे।

3. प्रकरण मे वाद पत्र एवं जवाब प्रतिवादीगण के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई–

तनकी नं. 01– वाद पत्र के मद नं. 1 मे वर्णित आराजी किता 8 रकबा 20.10 बीघा सेटलमेन्ट से पूर्व वादनी के पिता स्व. भोला एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते पति व पिता जमना के दर्ज जमाबन्दी चली आ रही थी। .... (वादनी)

तनकी नं. 02– वादनी उक्त भूमि के 1/2 हिस्सा पर सहखातेदार घोषित होने की अधिकारिणी है। ....(वादनी)

तनकी नं. 03– स्व. भोला के कोई ओलाद नही होने से भोला के भाई जमना जो प्रतिवादी 1 का पति व प्रतिवादीगण 2 ता 8 के पिता था, आराजी प्रतिवादीगण के खाते दर्ज हुई। ....(प्रतिवादीगण)

तनकी नं. 04– वादनी स्व. भोला की पुत्री नहीं है, अन्यथा विधिवत आराजी पूर्व मे ही वादनी के नाम आती। अतः वादनी का वाद खारिज योग्य है। ....(प्रतिवादीगण)

4. प्रकरण में वादनी की ओर से वादी साक्ष्य में अमरी बाई (PW1), रामनारायण (PW2), गुलाबबाई (PW3) के शपथ–पत्र पेश हुए एवं नकल इन्तकाल नं. 32 ग्राम गांगनाखेडी (प्रदर्श–P1), नकल जमाबंदी बन्दोबस्त सम्वत 2012–31 (प्रदर्श–P2), नकल जमाबंदी ग्राम गांगनाखेडी संवत 2067 (प्रदर्श–P3), नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम गागन्या खेडी (प्रदर्श–P4-5), मृत्यु प्रमाण पत्र भोलाराम (प्रदर्श–P6) पेश किये। प्रतिवादी की ओर से बाबूलाल (DW1), रूपनारायण (DW2), लालजीराम (DW3) के शपथ पत्र एवं नकल खसरा गिरदावरी ग्राम गांगन्याखेडी सम्वत 2027–30 खसरा नं. 104, 109, 110 (प्रदर्श–D1), खसरा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बाराँ (राज.)

गिरदावरी ग्राम गांगन्या खेडी सम्वत 2037–30 खसरा नं. 127 (प्रदर्श–D2), खसरा गिरदावरी ग्राम गांगन्याखेडी सम्वत 2027–30 खसरा नं. 128, 133 (प्रदर्श–D3), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2027–30 खसरा नं. 174 (प्रदर्श–D4), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2031–34 खसरा नं. 104 (प्रदर्श–D5), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2031–34 खसरा नं. 109 व 110 (प्रदर्श–D6), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2031–34 खसरा नं. 127,128,133 (प्रदर्श–D7), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2031–34 खसरा नं. 174 (प्रदर्श–D8), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2035–38 खसरा नं. 104 (प्रदर्श–D9), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2035–38 खसरा नं. 109,110 (प्रदर्श–D10), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2035–38 खसरा नं. 127,128,133 (प्रदर्श–D11), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2035–38 खसरा नं. 174 (प्रदर्श–D12), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2039–42 खसरा नं. 109,110 (प्रदर्श–D13), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2039–42 खसरा नं. 127,128,133 (प्रदर्श–D14), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2039–42 खसरा नं. 174 (प्रदर्श–D15), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2043–46 खसरा नं. 104 (प्रदर्श–D16), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2043–46 खसरा नं. 109,110 (प्रदर्श–D17), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2043–46 खसरा नं. 127,128,133 (प्रदर्श–D18), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2043–46 खसरा नं. 174 (प्रदर्श–D19), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2047–50 खसरा नं. 104 (प्रदर्श–D20), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2047–50 खसरा नं. 109,110 (प्रदर्श–D21), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2047–50 खसरा नं. 127,128,133 (प्रदर्श–D22), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2047–50 खसरा नं. 174 (प्रदर्श–D23), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2051–54 खसरा नं. 104 (प्रदर्श–D24), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2051–54 खसरा नं. 109,110 (प्रदर्श–D25), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2051–54 खसरा नं. 127,128,133 (प्रदर्श–D26), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2051–54 खसरा नं. 174 (प्रदर्श–D27), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2055–58 खसरा नं. 104 (प्रदर्श–D28), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2055–58 खसरा नं. 109,110 (प्रदर्श–D29), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2055–58 खसरा नं. 127,128,133 (प्रदर्श–D30), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2055–58 खसरा नं. 174 (प्रदर्श–D31), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2059–62 खसरा नं. 104,109,110 (प्रदर्श–D32), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2059–62 खसरा नं. 127,128 (प्रदर्श–D33), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2059–62 खसरा नं. 133 (प्रदर्श–D34), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2059–62 खसरा नं. 174 (प्रदर्श–D35), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2063–66 खसरा नं. 104,109,110

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

(प्रदर्श–D36), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2063–66 खसरा नं. 127,128 (प्रदर्श–D37), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2063–66 खसरा नं. 133 (प्रदर्श–D38), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2063–66 खसरा नं. 174 (प्रदर्श–D39), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2026–29 खसरा नं. 8, 104,109,110,127,128,133,174 (प्रदर्श–D40), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2030–33 खसरा नं. 8, 104,109,110,127,128,133,174 (प्रदर्श–D41), नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2034–37 खाता जमनालाल भोला इन्तकाल नं. 32 (प्रदर्श–D42), नकल जमाबंदी नं. 9 सम्वत 2038–41 नामान्तरण सं. 32 (प्रदर्श–D43), नकल जमाबंदी नं. 11 सम्वत 2043–46 (प्रदर्श–D44), नकल जमाबंदी नं. 12 सम्वत 2047–50 (प्रदर्श–D45), नकल जमाबंदी नं. 12 सम्वत 2051–54 (प्रदर्श–D46), नकल जमाबंदी नं. 13 सम्वत 2055–58 (प्रदर्श–D47), नकल जमाबंदी नं. 15 सम्वत 2059–62 (प्रदर्श–D48), नकल जमाबंदी नं. 18 सम्वत 2063–66 (प्रदर्श–D49), नकल जमाबंदी नं. 19 सम्वत 2067–70 (प्रदर्श–D50), नकल जमाबंदी नं. 27 सम्वत 2071–74 (प्रदर्श–D51), नकल इंतकाल नं. 32 (प्रदर्श–D52), नकल इंतकाल नं. 147 दिनांक 18.02.2013 (प्रदर्श–D53), पेश हुए।

5. प्रकरण में बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। विद्वान वकील वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया कि "ग्राम गागन्याखेड़ी तहसील छबड़ा की कृषि भूमि रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा सेटलमेन्ट संवत् 2012 में वादनी के पिता स्व० भोला एवं प्रतिवादीगण के पति व पिता जमना के शामलाती खाते में दर्ज जमाबंदी चली आ रही थी। भोला का स्वर्गवास सन् 1973 में हुआ, उस समय वादनी की आयु चार–छह माह के लगभग थी। वादनी स्व० भोला की एकमात्र संतान है। और भोला के मरने पर वादनी की माता एवं वादनी को स्व० जमना ने परेशान करके घर से भगा दिया। विवश होकर वादनी की माता अन्य जगह नाते बैठ गई। स्व० जमना ने वादनी के पिता के हिस्से की भूमि को हड़पने के लिए वादनी की माता को परेशान करके भगा देने के पश्चात वादनी का नाबालिकता का लाभ उठाकर वादनी के पिता को लाऔलाद बताते हुए उक्त वर्णित समस्त भूमि को इंतकाल नंबर 32 दिनांक 20.02.1978 को उसके तनहा खाते बंधवा लिया। उक्त भूमि वादनी के पिता भोला एवं प्रतिवादीगण के पति व पिता जमना के शामलाती खाते की होने से इस भूमि में वादनी का पैदाइशी हक है। वादनी इस भूमि के 1/2 भाग की सहखातेदार घोषित होने की अधिकारिणी है। प्रतिवादीगण 1 ता 8 द्वारा उक्त आराजी को अन्य को बेच देना चाहते हैं अतः उक्त वर्णित आराजी में वादनी को 1/2 भाग का खातेदार घोषित कर, 1/2 हिस्से का विभाजन कर, प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।"

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

6. प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने जवाब वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया कि "वादनी द्वारा मिथ्या एवं बनावटीपूर्ण तथ्यों के आधार पर यह वाद पेश किया है। जिसका मूल उद्देश्य प्रतिवादीगण को परेशान करने का है। वाद पत्र में वर्णित आराजी ग्राम गांगन्याखेडी तह. छबडा मे अवस्थित है। जो पूर्व मे भोला एवं उसके भाई जमना जो कि प्रतिवादी क्रम 1 का पति एवं प्रतिवादी क्रम 2 ता 8 का पिता था, के खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे चली आ रही थी। भोला लाऔलाद था। जिसका स्वर्गवास लगभग 45 वर्ष पूर्व हो चुका है। भोला का स्वर्गवास लाऔलाद हो जाने के कारण तहसीलदार छबडा द्वारा विधिवत रूप से भोला के भाई जमना के नाम उसके हिस्से की भूमियों का इन्तकाल तस्दीक किया जाकर, उक्त सम्पूर्ण भूमियां जमना के तनहा खातेदारी मे दर्ज की गई। भोला की मृत्यू के पश्चात से ही उक्त वर्णित विवादग्रस्त भूमियों को जमना अपने जीवन पर्यन्त तक तथा उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात से प्रतिवादीगण बेहेसियत खातेदार टिनेन्ट नियमित रूप से अभी तक काश्त करते हुये चले आ रहे है। जिसको लगभग 45 वर्षो का समय हो चुका है। जमना की मृत्यु के बाद उक्त भूमियों का इन्तकाल भी प्रतिवादीगण के पक्ष में तस्दीक किया जा चुका है। वादनी भोला की पुत्री नहीं है। यदि वह भोला की पुत्री होती तो वाद नियमानुसार भोला की मृत्यु हो जाने के पश्चात ही विधिवत रूप से पेश कर देती। वादनी ने उक्त वर्णित भूमियों को हडपने के उद्देश्य से मिथ्या एवं बनावटीपूर्ण तथ्यों क आधार पर भोला की फर्जी पुत्री बनकर 45 वर्ष बाद वाद पेश किया जो काबिल खारिज है। अतः वाद वादनी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।"

7. बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों/दस्तावेजों का अवलोकन किया, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर इस प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है–

तनकी नं. 01– <u>वाद पत्र के मद नं. 1 मे वर्णित आराजी किता 8 रकबा 20.10 बीघा सेटलमेन्ट से पूर्व वादनी के पिता स्व. भोला एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते पति व पिता जमना के दर्ज जमाबन्दी चली आ रही थी।</u>

इस तनकी को साबित करने का भार वादनी पर था। वादनी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी बन्दोबस्त ग्राम गांगनाखेडी सम्वत 2012–31 (प्रदर्श–P_2) मे जमुना, भोला पि. भेरया कोम लोधा सा. देह बास गांव हि. बराबर दर्ज है। साक्ष्यप्रतिवादी बाबूलाल (DW1) ने अपने बयानो की जिरह मे बताया कि "मेरे दादाजी का नाम भैरूलाल था। भैरूलाल जी के 2 पुत्र थे। उनके पुत्र का नाम जमनालाल व भोला था।" प्रस्तुत दस्तावेज एवं जिरह साक्ष्यप्रतिवादी बाबूलाल (DW1) से यह साबित होता है कि विवादित आराजी स्व. भोला एवं जमना के नाम

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

शामलाती खाते मे दर्ज जमाबन्दी चली आ रही थी। परन्तु वादनी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि स्व. भोला वादनी का पिता था। अतः यह तनकी भोला एवं प्रतिवादीगण के शामलाती में होने तक, आंशिक रूप से वादनी के पक्ष मे निर्णीत की जाती है।

तनकी नं. 02– वादनी उक्त भूमि के 1/2 हिस्सा पर सहखातेदार घोषित होने की अधिकारिणी है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादनी पर था। वादनी मृतक भोला की वारिस होने के आधार पर विवादित आराजी में 1/2 हिस्से पर सहखातेदार कृषक घोषित कराना चाहती है। वादनी द्वारा प्रस्तुत नकल इन्तकाल नं. 32 ग्राम गांगनाखेडी (प्रदर्श–P_1) के कॉलम संख्या 16 में "भोला लाऔलाद फोत होना" अंकित है। मृतक भोला के हिस्से पर जमना दर्ज होने का इंतकाल दिनांक 28.12.78 को तस्दीक किया गया है। वादनी द्वारा पेश मृत्यु प्रमाण पत्र भोलाराम (प्रदर्श–P6) में भोलाराम की मृत्यु दिनांक 15.06.84 दर्ज है। फौती इंतकाल दिनांक 28.12.78, वादनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर किए गए कथनों मे विरोधाभास है तथा वादनी भोला की पुत्री है, यह भी संदेहास्पद है। वादनी द्वारा सक्षम न्यायालय से वारिस प्रमाण पत्र संलग्न नही किया है। अर्थात वादनी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज, वसीयत, साक्ष्य, सबूत पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि वादनी मृतक भोला की वारिस है। अतः यह तनकी वादनी के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकी नं. 03– स्व. भोला के कोई ओलाद नही होने से भोला के भाई जमना जो प्रतिवादी 1 का पति व प्रतिवादीगण 2 ता 8 के पिता था, आराजी प्रतिवादीगण के खाते दर्ज हुई।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा पेश दस्तावेज नकल इंतकाल नं. 32 (प्रदर्श–D52) में कॉलम 5 कृषक के नाम मे जमना, भोला पुत्र भेरिया जाति लोधा बास गांव हि. बराबर अंकित है। कॉलम 16 मे भोला लाऔलाद फौत होना अंकित है। मृतक भोला के हिस्से पर जमना दर्ज होने का इंतकाल दिनांक 28.12.78 को तस्दीक किया गया है। नकल इंतकाल नं. 147 दिनांक 18.02.2013 (प्रदर्श–D53) मे जमनालाल फौत होने पर उसके वारिसान बाबूलाल, कमलसिंह, छोटूलाल, रमेशचन्द, पुत्र जमना कम्पूरीबाई, राजबाई, मोहनबाई, पुत्रिया जमनालांल गंगाबाई बेवा जमनालाल हि.ब. कोम लोधा सा. देह रहन एसबीबीजे एडीबी छबडा इंतकाल तस्दीक किया गया। उपरोक्त पेश किये गये दस्तावेज से साबित होता है कि भोला एवं जमना भाई–भाई थे। भोला के हिस्से की भूमि जमना के खाते दर्ज हुई है। जमना की मृत्यु के बाद जमना के

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

वारिसान (प्रतिवादीगण) के नाम इंतकाल नं. 147 दिनांक 18.02.2013 को तस्दीक किया गया है। इस प्रकार विवादित आराजी प्रतिवादीगण के खाते दर्ज हुई है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष मे निर्णीत की जाती है।

तनकी नं. 04– <u>वादनी स्व. भोला की पुत्री नहीं है, अन्यथा विधिवत आराजी पूर्व मे ही वादनी के नाम आती। अतः वादनी का वाद खारिज योग्य है।</u>

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। इस तनकी से सम्बन्धित तथ्य का निस्तारण तनकी नं. 2 व 3 मे किया जा चुका है। अतः यह पृथक से निस्तारित करने की आवश्यकता नहीं है। यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष मे निर्णीत की जाती है।

8. उपरोक्त तनकीयात के निर्णय के आधार पर विवादित आराजी पूर्व मे मृतक भोला एवं जमना पुत्र भेरिया के खाते दर्ज थी। भोला लाऔलाद फोत होने के कारण भोला के हिस्से की आराजी, जमना जो प्रतिवादी 1 का पति व प्रतिवादी 2 ता 8 के पिता के नाम दर्ज हुई। जमना के फौत होने के बाद विवादिज आराजी जमना के वारिसान (प्रतिवादीगण) के नाम दर्ज हुई। वादनी को साक्ष्य/सबूतो के अभाव मे मृतक भोला की वारिस नहीं माना जा सकता है। तनकी नं. 1, जो वादनी के पक्ष में आंशिक तौर पर स्वीकार की गई है, उसका वाद के निर्णय पर कोई प्रभाव नही पड रहा है। अतः वादनी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

<u>:: क्रियात्मक आदेश ::</u>

उपरोक्त विवेचनानुसार वादिनी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारां (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 37/2013	धारा 53,88,89,91,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः–27.08.2025
समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री दीपक वर्मा	अभिभाषकप्रतिवादीः– श्री अरविन्द प्रताप सिंह	

वाद शीर्षक

उनवान

1. अमरीबाई पुत्री भोला पत्नी नंदकिशोर जाति लोधा निवासी सेमली तहसील छबड़ा

..............वादीया

बनाम

1. गंगाबाई बेवा जमना
2. बापू पुत्र जमना
3. कमलसिंह पुत्र जमना
4. छोटिया पुत्र जमना
5. रमेश पुत्र जमना जातियान लोधा निवासीगण सेमली तह. छबडा
6. कम्पूरीबाई पुत्री जमना पत्नी लालजीराम निवासी फलिया तह. छबडा
7. राजबाई पुत्री जमना पत्नी अमरसिंह निवासी मदनाखेड़ी तह० छबड़ा
8. मोहनबाई पुत्री जमना पत्नी मोहन निवासी काल्या जागीर तहसील छीपाबड़ौद
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)

.................प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादिनी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक ....27-8-25.......को निर्गत किया गया।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी छबड़ा, जिला बारां (राज.))

उपखण्ड अधिकारी,
छबड़ा जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्र.सं.	विवरण मद	व्ययानुतोष वादी	व्ययानुतोष प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		